राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2019 जयपुर, दिनांक : 08.05.2019

डा. मनोज कुमार यादव,
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबडका, अलवर

विषयः– **मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 155/2019 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2019 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2019 के द्वारा आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबडका, अलवर से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिजारा, अलवर के पद पर कार्यव्यवस्था के आदेश को निरस्त कर आपको अपने मूल पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबडका, अलवर पर कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध आपने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 155/2019 दायर की। मा. अधिकरण ने उक्त अपील में दिनांक 15.02.2019 को आदेश पारित कर विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये है। आपने मा. अधिकरण के निर्देशानुसार विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

1. आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबडका, अलवर में पदस्थापित है एवं आपको खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिजारा, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान कर है, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ने उनसे अतिरिक्त कार्यभार वापिस लेकर, जुनियर चिकित्सा अधिकारी को दे दिया है।

आपके अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। आपको विभाग की आवश्यकताओं के मध्यनजर अस्थाई रूप से अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अतः आपका अभ्यावेदन निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राबडका, अलवर में अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए इस विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर

शासन सहायक सचिव